न्यायालय तहसीलदार जसवंततपुरा

मुकदमा नंबर 05/2016

राजस्थान सरकार जरिये बनाम गैरसायल

पटवारी हल्का जसवंतपुरा श्री हरजीराम पुत्र श्री जेठाराम

जाति कलबी निवासी पादर

निर्णय दिनांकः–5.10.2016

पत्रावली पेश हुयी। गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जसवंतपुरा व निरीक्षक भू0अ0 जसवंतपुरा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2073 में मौजा जसवंतपुरा के खसरा नंबर 1166 रकबा 0.63 हेक्टर किस्म गै.मु मगरा में अनाधिकृतरूप से बाजरी की काश्त कर कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल नें अपने जबाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नही किये,नही पेश करना चाहता है जिससे यह साबित होता है कि गैरसायल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (1) के तहत संवत 2073 में मौजा जसवंतपुरा के खसरा,नंबर 1166 रकबा 0.63 हेक्टर किस्म गै.मु. मगरा अतिक्रमी घोषित किया जाकर बाजरी की फसल को कुर्ककर निलामी करने व अतिक्रमित रकबे से भौतिकरूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है साथ ही अतिक्रमित रकबे पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) तहत का वार्षिक लगान 2.52 का 50 गुणा रू0 126/– अक्षरे एक सौ चब्बीस रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा ,पटवारी हल्का जसवंतपुरा को भौतिकरूप से बेदखल करने एवं जुर्माना कायमी हेतु लिखा जाये। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

05.10.16

तहसीलदार जसवन्तपुरा

तहसीलदार ,जसवंतपुरा

Scanned by CamScanner